

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा,

निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक 08.01.2026

विषय:- माँ विंध्यवासिनी संध्याकालीन स्नातक महाविद्यालय, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग को शैक्षणिक सत्र 2025-29, 2026-30 एवं 2027-31 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-2003, दिनांक 07.08.2025

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने माँ विंध्यवासिनी संध्याकालीन स्नातक महाविद्यालय, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग को विश्वविद्यालय के अनुशांसा के आलोक में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इंटर रहित अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घाकरण के प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 04(19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित विवरणी के अनुसार कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

क्र0 सं0	संकाय स्तर	विषय	सत्र	अभ्युक्ति
1.	कला संकाय In all the proposed major courses along with all the subject required for subject mapping (common courses, introductory courses, minor courses and research courses) as per the frame work for FYUGP	Major: हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, खोरठा, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, एवं मानवशास्त्र (as per the frame work for FYUGP)	सत्र 2025-29, 2026-30 एवं 2027-31 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्घाकरण

2. शर्त:-

- I. यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घाकरण हेतु पत्रांक-BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक 19.04.1986 एवं संबंधन संबंधी निदेशालीय पत्रांक-749 दिनांक 13.04.2018 द्वारा निर्गत नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तों को सदैव पूरा करेगा।
- II. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- III. महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा-5 के तहत NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।
- IV. आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन
ह0/-
(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग


निदेशालय के उक्त पत्र में अंकित संकाय स्तर एवं विषय में सत्र 2025-29, 2026-30 एवं 2027-31 के लिए दिए गए शर्तों के अधीन अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


विश्वासभाजन
ह0/-
कुलसचिव (I/c)

ज्ञापांक:- वि0भा0वि0/स्था0/...../26
प्रतिलिपि :-

दिनांक 17.02./2026

1. कुलपति/वित्तीय सलाहकार/कुलसचिव के निजी सहायकों को कुलपति/वित्तीय सलाहकार/कुलसचिव के सूचनार्थ।
2. सचिव/प्राचार्य, माँ विंध्यवासिनी संध्याकालीन स्नातक महाविद्यालय, करमाटॉड, पदमा, हजारीबाग के सूचनार्थ इस आग्रह के साथ की पत्र में दिए गए शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. परीक्षा नियंत्रक, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
4. सभी पदाधिकारी, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
5. प्रभारी स्थापना शाखा, वि0भा0वि0, हजारीबाग।


कुलसचिव (I/c)


14/2/2026

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
उच्च शिक्षा निदेशालय
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची 834002-

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक

विषय :- माँ विन्ध्यवासिनी संध्याकालीन स्नातक महाविद्यालय, करमाटाँड़, पदमा, हजारीबाग को शैक्षणिक सत्र-2025-29, 2026-30 एवं 2027-31 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-2003 दिनांक-07.08.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने माँ विन्ध्यवासिनी संध्याकालीन स्नातक महाविद्यालय, करमाटाँड़, पदमा, हजारीबाग को विश्वविद्यालय के अनुशंसा के आलोक में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इंटर रहित अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 04 (19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

क्र०	संकाय स्तर	विषय	सत्र	अभियुक्ति
1.	कला संकाय In all the proposed major courses along with all the subject required for subject mapping (common courses, introductory courses, minor courses and research courses) as per the framework for FYUGP	(Major):- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, खोरटा, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र एवं मानवशास्त्र (as per the framework for FYUGP)	2025-29, 2026-30 एवं 2027-31	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण

02. शर्त:-

- यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक-BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक-19.04.1986 एवं संबंधन संबंधी निदेशालीय पत्रांक-749, दिनांक-13.04.2018 द्वारा निर्गत नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तों को सदैव पूरा करेगा।
- विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

- (iii) महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा-5 के तहत NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।
- (iv) आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

राँची, दिनांक- 08/01/2026

ज्ञापक- 05/सं0-01/2024..... 57

प्रतिलिपि:- माँ विन्ध्यवासिनी संध्याकालीन स्नातक महाविद्यालय, करमाटाँड, पदना, हजारीबाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sarg
08-01-26

(सुधीर बाड़ा)

निदेशक, उच्च शिक्षा।